न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 32/2006

हरचन्द पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (मृत्क)
1/1 रघुवीर
1/2 उमराव
1/3 ख्यालीराम
1/4 मुरारी
1/5 बाबूलाल
1/6 राजाराम पुत्रान् स्व. हरचन्द समस्त जातियान् गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

रमेश पुत्र मलखान जाति भंगी निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 14(4) राज. लैण्ड रेवेन्यु अलाटमेन्ट ऑफ लैण्ड फार परपज रूल्स 1970 बाबत किये जाने निरस्त आवंटन दिनांक 24/6/1999 ग्राम गोपालपुरा बाबत ख.नं. 739 रकबा 0.16 वाके मौजा गोपालपुरा

निर्णय दिनांक 22.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील रेस्पोडेन्ट रमेश पुत्र मलखान जाति भंगी निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली को आवंटन सलाहकार समिति कोटपूतली द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय गोपालपुरा में किये गये आवंटन आराजी ख.नं. 739 रकबा 0.16 है0 के विरूद्व अपील पेश की गयी है, जिसमें वर्णित है कि उक्त भूमि पर प्राथी की काश्त है। इस पर आवंटन का प्रथम हक प्रार्थी का है। पूर्व में प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना जाकर तथा तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये अपीलान्ट हरचन्द पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा की अपील स्वीकार की जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम गोपालपुरा के आराजी ख.नं. 739 रकबा 0.16 है0 का आवंटन जो कि 24/9/1999 को किया गया था को निरस्त किया जाता है यानि कि आवंटन निरस्त करने के उक्त आदेश दिनांक 24/10/2002 को इस न्यायालय हाजा से निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी रमेश चन्द पुत्र मलखान जाति भंगी निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 24/2/2002 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील 159/2002 रमेश बनाम हरचन्द पेश की गयी, जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन कृषक होने से दिनांक 24/6/1999 को आवंटन किया गया था तभी से अपीलार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उसमें अपीलार्थी के आवासीय मकान बने हुये है। अपीलार्थी को नियमानुसार ही आवंटन किया गया तथा कोई फोड व मिसरिप्रेन्टेशन नहीं था । विवादित भूमि किसी भी मुख्य सडक की सीमा में नहीं आती है तथा दो गावों के मध्य बने सडक के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा उनका तर्क है कि विवादित आराजी कोटपूतली चिमनपुरा रोड पर स्थित है जो तहसीलदार कोटपूतली

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

की रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रमाणित है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय संग
होने से अपील निरस्तनीय है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा उक्त बहस पर गौर
एवं रिकॉर्ड का अवलोकन कर प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 14
का प्रार्थना–पत्र पेश कर उसमें यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि
उसका पुराना कब्जा है तथा यह भूमि उसे आवंटित की जानी चाहिए तथा उक्त बहस
एक अतिरिक्त कथन सडक से 50 गज की दूरी का व्यक्त किया गया तथा योग्य अधिनस्थ
न्यायालय ने इस पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी तहसीलदार ने स्वयं मौके का
अवलोकन नहीं कर गिरदावर से रिपोर्ट तलब की जो न्यायोचित नहीं है तथा गिरदावर की
रिपोर्ट एक सरसरी रिपोर्ट हैख जसमें अपीलार्थी का मौखिक रूप से मौका जांच बाबत कर
जाने का अंकन है जो प्रमाणित नहीं है। इस रिपोर्ट के साथ राजस्व का प्रमाणित नक्शा
नक्शा भी संलग्न नहीं है। सडक का प्रकार उसकी चौडाई तथा मध्य बिन्दु से आवंटित भूमि
की दूरी आदि का कोई उल्लेख व नक्शा संलग्न नहीं है। अतः सरसरी रिपोर्ट पर सलाहकार
समिति द्वारा किया गया आवंटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। मौका रिपोर्ट पक्षकारों की
उपस्थित में तैयार करायी जाकर न्याय संगत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित
योग्य है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की
जाती है। अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति में
मौका रिपोर्ट तैयार कर न्याय संगत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को योग्य अधिनस्थ
न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 30/1/2006 को
उक्त निर्णय पारित किया है। प्रकरण रिमाण्ड होने पर इस न्यायालय हाजा मे दिनांक
23/3/2006 को दर्ज कर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तल्ब किया गया
बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। प्रकरण में अपीलार्थी/प्रार्थी
की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 31/7/2011 अदम हाजरी आप पैरवी में
खारिज किया गया। प्रार्थी हरचन्द की ओर से प्रा.पत्र 041 आर 19 सीपीसी का पेश होने पर
दिनांक 20/7/2016 को स्वीकार हुआ रेस्टोरेशन प्रा.पत्र स्वीकार होने पर दिनांक
20/7/2016 को प्रा.पत्र स्वीकार होने पर अप्रार्थी स्वेश उपस्थित आया तथा दिनांक
15/11/2018 को उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। उक्त रेस्पोरेशन प्रार्थना–पत्र
खारिज होने पर वकील प्रार्थी द्वारा दिनांके 09/01/2019 को 09 आर 4 सीपीसी
प्रार्थना–पत्र रेस्टोर का पेश किया, पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सम्मन नोटिस
अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड होने पर उपस्थित नहीं आया। इसलिए दिनांक 20/6/2019
को इसके रूिद्ध एक पक्षीय कार्यवी अमल में लायी गयी। रेस्पोरेशन प्रा.पत्र 09 आर 4
सीपीसी स्वीकार होने पर मूल अपील बरामद होकर पुनः नम्बर पर लिया जाकर तहसीलदार
कोटपूतली से मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में पुनः स्मरण–पत्र
द्वारा इस न्यायालय के पत्रांक 210/कोर्ट/2021 दिनांक 25/11/2021 के द्वारा पुनः
स्मरण पत्र लिखा गया। तहसीलदार कोटपूतली के आदेश कमांक भू.अ./2021/3512
दिनांक 21/12/2021 के द्वारा उक्त प्रकरण में ग्राम गोपालपुरा के ख.नं. 739 के बाबत
जांच रिपोर्ट तैयार कर भिजवायी गयी। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड
नक्शा एवं जमाबंदी से मौका निरीक्षण किया गया। मोके पर उभयपक्ष मोजूद मिले दोनो पक्षो
की मौजूदगी ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गोपालपुरा से चिमनपुरा रोड से
उत्तर दिशा में ख.नं. 739 स्थित है। मौके पर उपस्थित भौतविरान द्वारा बताये अनुसार स्मेश
चन्द का कब्जा रोड के दक्षिण दिशा में पाया गया । उपस्थित भौतविरान के पढी मौका
पढकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर कराये गये। पक्षकार स्मेशचन्द ने हस्ताक्षर करने से मना
किया है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट के साथ तहसीलदार की उक्त पत्रांक से रिपोर्ट प्राप्त होने
पर संलग्न पत्रावली किया गया।

वकील अपीलान्ट/प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
बहस में अभिकथन किया है कि आराजी ख.नं. 739 रकबा 0.16 वाके मौजा गोपालपुरा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

तहसील कोटपूतली में स्थित है, जिसमें अपीलान्टगण् कदमी से काबिज काश्तकार चले आ रहे है। अपीलान्ट से पूर्व उक्त आराजी पर अपीलान्ट के बुजुर्गान काबिज थे किसी दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये दिनांक 24/6/199 को रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी रमेश के नाम अलाटमेन्ट कर दिया रेस्पोडेन्ट का ना तो पहले कभी कब्जा रहा है तथा ना ही आज मौके पर कब्जा है। अपीलान्ट की काबले शुद्वा भूमि है। भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24/6/1999 को गैर कानूनी रूप से आवंटन कर दी गयी। आवंटी ना ही भूमिहीन की श्रेणी में आता है। श्रीमान् न्यायालय द्वारा भी दिनांक 24/02/2002 को आवंटन निरस्त करने के आदेश प्रदान किये है। तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त रिपोर्ट उनके पत्रांक/भू.अ./2021/3512 दिनांक 21/12/2021 के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के मुताबिक गोपालपुरा से चिमनपुरा रोड से उत्तर दिशा में ख.नं. 739 स्थित है, जबकि रेस्पोडेन्ट रमेशचन्द का कब्जा रोड के दक्षिण दिशा में पाया गया है। इससे साबित होता है कि ख.नं. 739 में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी का कभी कब्जा मौका पर नहीं रहा है। आवंटन सलाहकार समिति को मुगालता में रखकर उक्त ख.न. में दिनांक 24/6/1999 को आवंटन कराया है जो विधि विरूद्व एवं गैर कानूनी है ना ही उक्त भूमि पर कभी कब्जा रहा है। इसलिए रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन बाबत ख.नं. 739 खारिज फरमाये जाकर अपीलान्ट/प्रार्थी की अपील स्वीकार फरमावें।

चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात् एवं साक्ष्य का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट/प्रार्थी की बहस सुनी गयी तथा तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उनके पत्रांक/भू.अ./2021/3512 दिनांक 21/12/2021 के मुताबिक प्रस्तुत जांच फर्द मौका रिपोर्ट से ग्राम गोपालपुरा से चिमनपुरा रोड से उत्तर दिशा में ख.नं. 739 ग्राम गोपालपुरा का ख.नं. स्थित है जबकि रेस्पोडेन्ट रमेश चन्द का कब्जा रोड के दक्षिण दिशा में होना पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी का उक्त आराजी ख.नं. 739 वाके ग्राम गोपालपुरा पर कभी काश्त नहीं की है तथा ना ही कभी कब्जा रहा है। आवंटी आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना नहीं की है। इसलिए रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी हक में दिनांक 24/6/1999 को ख.नं. 739 रकबा 0.16 है0 वाके गोपालपुरा का गैर कानूनी आवंटन किया गया है। उसे अपास्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है तथा अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्ट/प्रार्थी की अपील/प्रार्थना-पत्र 14(4) स्वीकार की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के हक में ग्राम गोपालपुरा के ख.नं. 739 रकबा 0.16 है0 का किया गया आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार कोटपूतली को भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)